



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-07-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट प्रर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भगवानपुर तिराहा पर चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण 1. गगनदीप पुत्र विक्रम सिंह नि0 ग्राम नन्हेडा बेद बेगमपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 2. बिलाल पुत्र शराफत नि0 ग्राम मक्काबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 3. रितिक उर्फ फूला पुत्र राजवीर नि0 ग्राम बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को भगवानपुर रोड पर फलाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0- 120/24 धारा - 317(2)/317(5)/318(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त रितिक उर्फ फूला द्वारा पूछने पर बताया गया कि मैंने अपने साथी गगनदीप, बिलाल व 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर देहरादून व हरिद्वार से मोटरसाइकिल चोरी की थी।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. गगनदीप पुत्र विक्रम सिंह नि0 ग्राम नन्हेडा बेद बेगमपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. बिलाल पुत्र शराफत नि0 ग्राम मक्काबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. रितिक उर्फ फूला पुत्र राजवीर नि0 ग्राम बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

- 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर UP30BB1455 चेचिस नं0 MBLHAW127LHF11104 (अभि0 गगनदीप से बरामद)
- 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर UK07FJ2548 चेचिस नं0 MBLHAW176N4K13694 (अभि0 बिलाल से बरामद)
- 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर HR05AT5990 चेचिस नं0 MBLJA06AXG9J00058 (अभि0 रितिक से बरामद)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 (यूटी) डैनी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 2039 विजय देशवाल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. का0 2259 पालेन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 03.07.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास करने वाले 01 वांछित**

**अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 29.06.2024 को वादी ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत वादी के नाबालिक पुत्र उम्र 05 वर्ष के साथ अभियुक्त इकराम उर्फ हाण्डा पुत्र छज्जू निवासी मौ० किला कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा कुकर्म का प्रयास करने के संबंध में थाना देवबंद पर मु०अ०स० 338/24 धारा 377/511 भादवि व धारा 9M/10 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षण श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **इकराम उर्फ हाण्डा पुत्र छज्जू निवासी मौ० किला कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को शात्री चौक देवबंद से गिरफ्तार किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 67 बी आईटी एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

इकराम उर्फ हाण्डा पुत्र छज्जू निवासी मौ० किला कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
2. उ०नि० अमनपाल सिंह थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
3. है०का० 1031 श्रीकान्त भाटी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
4. का० 2457 अंकुल कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.07.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से करीब 39 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02/03.07.24 की रात्रि में कच्ची शराब की कसीदगी करने वाले 01 अभियुक्त **प्रदीप उर्फ मोनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम नसरुल्लागढ़ के जंगल से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध 39 लीटर कच्ची शराब मय शराब बनाने के उपकरण 01 छोटा व बड़ा प्लास्टिक का ड्रम, 01 बड़ा सिलेन्डर, 01 रेगुलेटर, 01 पाईप का चुल्हा, 01 मिट्टी की कटी हुई हान्डी, करीब 02 फुट प्लास्टिक का पाईप, 01 सिल्वर की पतीली, 01 एक कांच की बोतल, 03 जरीकैन बरामद हुए तथा मौके पर बरामद करीब 200 लीटर लहन को नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त प्रदीप उर्फ मोनी के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 208/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप उर्फ मोनी उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ अपना खर्च चलाने के लिए कच्ची शराब बनाकर उसे उचित दामों में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ जिससे मुझे काफी लाभ हो जाता है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

प्रदीप उर्फ मोनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़, सहारनपुर
3. है0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड़, सहारनपुर
4. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड़, सहारनपुर
5. का0 2434 मनीष कुमार थाना नकुड़, सहारनपुर



दिनांक: 03.07.2024

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.07.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा वारण्टी कौसर पुत्र इकराम निवासी ग्राम जुडडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद सं0 927/22 मु0अ0सं0 10/21 धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम थाना गागलहेडी निर्गत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कौसर पुत्र इकराम निवासी ग्राम जुडडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

### अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की चैन खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार, कब्जे से 01 चैन का टुकड़ा (पीली धातु) बरामदा**

अवगत कराना है कि दिनांक 11.6.2024 को वादिया मुकदमा अनीता सिंघल पत्नी वीरेंद्र कुमार सिंघल निवासी म0 न0 8/3884 नर्थ कृष्णा नगर स्टेट बैंक वाली गली चिलकाना रोड थाना मंडी सहारनपुर के साथ हुई लूट के आधार पर मु0अ0सं0 249/2024 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.07.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर गोटेशाह की दरगाह के समाने से मु0अ0सं0- 249/2024 धारा 392/411 भादवि में चोरी गयी चैन को 16500 रुपये में खरीदने वाला 01 अभियुक्त फरमान पुत्र शकरुद्दीन निवासी मैसूर पैलेस के पीछे मण्डी समिति रोड निकट आली की चुँगी थाना मण्डी जिला सहारनपुर को चोरी की चैन (पीली धातु) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**उपरोक्त मुकदमें में लूट के वांछित 03 अभियुक्तों को थाना मण्डी पुलिस द्वारा दिनांक 28.06.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।**

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्त फरमान द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैं नक़्शाशा बाजार थाना कोतवाली नगर में सुनार की दुकान करता हूँ। करीब 20—25 दिन पहले मैंने 3 चोरो से एक सोने की चैन का टुकड़ा खरीदा था। उन लोगो ने मुझे बताया था कि ये चैन उन लोगो ने एक महिला के गले के झपट्टा मारकर लूटी है। महिला के चैन पकड़ने से आधी चैन तो महिला के हाथ में रह गई थी और आधी हम लूट कर ले आये है। रूपयो के लालच मैंने वह चैन 16500/- में खरीद ली थी। जब मुझे पता चला कि मण्डी थाने की पुलिस ने उन चोरो को पकड़ लिया है ,तो मैं घबरा गया था और कई दिनों से दुकान पर नहीं जा रहा था तथा इधर उधर छुप रहा था। तथा आज मैं मौका लगाकर रोज दुकान पर जाने वाले रास्ते से बदलकर अपनी दुकान पर जा रहा था तथा इस सोने की चैन के टुकड़े को गलाकर कुछ और बनाना चाहता था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

फरमान पुत्र शकरुद्दीन निवासी मैसूर पैलेस के पीछे मण्डी समिति रोड निकट आली की चुँगी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

01 चैन का टुकड़ा (पीली धातु)

**अभियुक्त फरमान का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0- 249/2024 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 578/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

3. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 25.06.2024 वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत 1.आमिर पुत्र शाहबुददीन 2. मुन्ना पुत्र शाहबुददीन 3.दानिश पुत्र नामालूम 4.शमीना पत्नी दानिश 5. सितारा पत्नी शाहबुददीन निवासीगण एकता विहार कालौनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 245/24 धारा 363/366/323/504 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञाल लेते हुए अपहर्ता की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.07.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **मौ0 आमिर पुत्र शहाबुददीन निवासी एकता कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अपहर्ता को दिनांक 25.06.2024 को सकुशल बरामद किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

मौ0 आमिर पुत्र शहाबुददीन निवासी एकता कालोनी थाना मण्डी स0पुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 310 विपिन पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1761 संदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुते चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.07.2024 को एक एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **गुलाब सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम धारकी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0-1365/2016 मु0अ0सं0-479/15 धारा 420/452/323 भादवि मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स0पुर नियत दिनांक 19.07.24 को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

गुलाब सिंह पुत्र अतर सिंह नि0 ग्राम धारकी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 479/15 धारा 420/452/323 भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 574/11 धारा 323/324/504/506 भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 32/12 धारा 110 जी दं0प्र0सं0 चालानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -**

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 पंकज मिश्रा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अपराधी **इस्तकार पुत्र जहूर हसन उर्फ मुगड़ निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 03/07/2024 को जंगल ग्राम मानपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 260/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त इस्तकार पुत्र जहूर हसन उर्फ मुगड़ से पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि यह तमंचा में लोगो पर रोब गालिब करने के लिए रखता हूँ। यह तमंचा मैंने राह चलते व्यक्ति से खरीदा था।

#### **बरामदगी का विवरण:-**

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

इस्तकार पुत्र जहूर हसन उर्फ मुगड़ निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0- 101/2008 धारा 323/324/504 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-786/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 01/2022 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0-156/2022 धारा 34/307 भा.द.वि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 157/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 159/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0-121/24 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 260/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 धीर सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2. है0कां0 362 अमित कुमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 322 मोनू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 382 सतेन्द्र कुमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 25.06.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार,**  
**कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 18.06.2024 को वादी राहुल वर्मा पुत्र साधुराम निवासी ज्ञान विहार कालोनी, भुतेश्वर मंदिर रोड, थाना मण्डी ने एक लिखित तहरीर बावत एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर लेने के संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 342/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **दिनेश उर्फ टिकू पुत्र हेमराज उर्फ गब्बर नि0 ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को काशीराम बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुई मोटरसाइकिल (UP 11 BH 4116) बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश उपरोक्त ने बताया कि जो मोटर साइकिल पुलिस द्वारा मुझसे आज बरामद की गयी है उसे मैंने सक्षम हॉस्पिटल के सामने से दिनांक 17.06.2024 को चोरी की थी। आज जब मैं चोरी की मोटरसाइकिल बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

दिनेश उर्फ टिकू पुत्र हेमराज उर्फ गब्बर नि0 ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश उर्फ टिकू का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 92/22 धारा 379/411 भादवि थाना ननौता सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 342/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

**बरामदगी-**

➤ चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।(रजिस्ट्रेशन नं0- UP 11 BH 4116 )

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 शशांक गिरि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. का01815 विशाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 850 सचिन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म कर, तेजाब**  
**पिलाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2024 को वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत वादी की नाबालिग बहन के साथ अभियुक्त वासिब द्वारा बलात्कार करना व घर से भागने के लिए दबाव बनाना व वादी व वादी के परिजनो के साथ गाली गलौच कर धमकी देना तथा अभियुक्त वासिब द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की बहन के साथ मारपीट करना व साथ न भागने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देना तथा वादी की बहन को जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना एवं अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन को तेजाब पिलाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 133/2024 धारा 452/323/504/506/376/120बी/306/511 भादवि व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटना का अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त वासिब पुत्र शमीम निवासी छावडा कालौनी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मानकमऊ बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

➤ वासिब पुत्र शमीम निवासी छावडा कालौनी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1823 श्रवण कुमार, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1533 सोनू थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-07-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग करन वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध तमंचे, 06 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल**

### **बरामदा**

अवगत कराना है कि दिनांक 02.07.2024 को वादी उपनिरीक्षक श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 5-6 मोटर साइकिलों पर सवार होकर जिन्होंने अपने मुह पर कपडा लपेटा हुआ था तथा उनके हाथ में हथियार थे उक्त युवकों के द्वारा अपने हाथों में लिये हथियारों से आने जाने वाले व्यक्तियों पर जान से मारने की नीयत से अन्धाधुन्ध फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 190/2024 धारा-109/190/191(2)/191(3) बीएनएस व 07 सीएलए एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी के दिशा-निर्देश दिए, आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा कार्यवाहक थाना प्रभारी बेहट श्री रोविल्स कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वान्छित अभियुक्तगण की शिनाख्त की गयी जिसमें अभियुक्तगण 1. हर्ष राणा उर्फ गोनु पुत्र रामकुमार उर्फ बबलू निवासी हथौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. राहुल सिंह पुत्र परमाल निवासी बेलका माफी थाना बेहट जनपद सहारनपुर 3. भानू प्रताप सिंह पुत्र देवेन्द्र पाल सिंह निवासी सढौली कदीम थाना बेहट जनपद सहारनपुर की शिनाख्त कर दिनांक 02.07.24 को रात्रि के समय टोडरपुर तिराहे से कांसेपुर रोड की तरफ मय 02 मोटर साइकिल व 03 तमन्चा देशी 315 बोर मय 06 कारतूस जिन्दा 315 बोर के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राहुल सिंह के कब्जे से 02 तमन्चा देशी 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस व अभियुक्त भानू प्रताप के कब्जे से 01 तमन्चा देशी 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व दो मोटर साइकिल (1) मोटर साइकिल CT100 पंजिकरण नं0 UP11BP0463 (अभियुक्त हर्ष के कब्जे से) व एक मोटर साइकिल सुपर स्पलैण्डर नं0 HR 05AL6089 अभियुक्त भानू प्रताप सिंह के कब्जे से बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ:-** गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम तीनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने एवं जनता में भय फैलाने के लिये हमने एक साथ मिलकर दिनांक 01.07.2024 को दिन दहाडे गाँव अम्बेहट ईस्माईलपुर में तीन जगह पर आते जाते लोगो के जान से मारने की नीयत से उनके उपर फायरिंग की और फिर हम लोग अपनी अपनी मोटर साइकिलो से फायरिंग करते हुये गाँव हुसैन मलकपुर की तरफ भाग गये आज भी हम यही आसपास फायरिंग कर कोई घटना करने की फिराक में थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. हर्ष राणा उर्फ गोनू पुत्र रामकुमार उर्फ बबलू निवासी हथौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. राहुल सिंह पुत्र परमाल निवासी बेलका माफी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. भानू प्रताप सिंह पुत्र देवेन्द्र पाल सिंह निवासी सढोली कदीम थाना बेहट जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

- 02 तमंचे देशी 315 बोर मय जिन्दा 04 कारतूस (अभियुक्त राहुल सिंह के कब्जे से )
- 01 तमन्चा देशी 315 बोर मय जिन्दा 02 कारतूस (अभियुक्त भानू प्रताप सिंह के कब्जे से )
- 01 मोटर साईकिल CT100 नं0- UP11BP0463
- 01 सुपर स्पलैण्डर नं0 HR 05AL6089

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. IC/ प्रभारी श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री तोताराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सतीश रौसा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 586 राजीव पंवार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. है0का0 1098 राहुल राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
6. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
7. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
8. का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-07-2024

## **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

### **थाना चिलकाना साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के 17,500.00 Rs वापस कराये।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय सहारनपुर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा दिनांक 28.06.2024 को शिकायतकर्ता श्री अंकित कुमार पुत्र श्री राजकुमार नि० ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा दर्ज करायी गयी ऑनलाइन शिकायत संख्या 23106240069790 में त्वरित कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के साथ हुई 17,500.00 Rs की साइबर ठगी के शत प्रतिशत 17,500.00 Rs वापस कराये गये। धोखाधड़ी हुई धनराशी वापस आने पर पीडित द्वारा थाना चिलकाना साइबर हैल्प डैस्क का आभार प्रकट किया गया।

### **बरामदगी का विवरण-**

17,500.00/- Rs

### **साइबर हैल्प डैस्क टीम-**

1. थानाध्यक्ष कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० विजय सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. कम्प० ऑपरेटर विकास देशवाल थाना चिलकाना सहारनपुर
4. कम्प० ऑपरेटर कपिल देव थाना चिलकाना सहारनपुर
5. का० 123 सुधीर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर